



सं.13011/10/2020-ति.प्र.रि/हिंदी/120

दिनांक २९ जून, 2020

विषय: 31 जून, 2020 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवाने के संबंध में।

कृपया जून, 2020 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भाग-1 सही-सही भरकर यथाशीघ्र हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा के.ज.आ. की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है।

3. रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

क्र.सं.	मद	टिप्पणी
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात	ध्यान रहे कि धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। इसके अलावा अन्य पत्राचार इसमें शामिल न किया जाए।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)	ध्यान रहे कि राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाता है।
3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए।
4.	भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा	'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है। 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है। 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को लक्ष्य 65% है।



क्र.सं.	मद	टिप्पणी
5.	तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।	'क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणियां लिखने का निर्धारित लक्ष्य 75% है।
7.	आंकड़ों का जोड़	यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों का जोड़ सही है।

अनुरोध है कि तिमाही रिपोर्ट 10 जुलाई, 2020 तक अनिवार्यतः हिंदी अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करें।


29/6/2020

(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (राजभाषा)

बी पी एल: 3720

सेवा में:-

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना / अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केन्द्रीय जल आयोग।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
3. निदेशक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक स्थापना-1/प्रशासन, केन्द्रीय जल आयोग
5. सभी अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

